न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीया आर.ए.एस.

अपील संख्या 2019/00135 (135/2019) 225 आरटीएक्ट
ग्रामोत्थान विद्यपीठ संगरिया, जरिये अध्यक्ष/सचिव ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ, जरिये सचिव श्री सुखराज सिंह ––अपीलांट

बनाम

1. रविकुमार पुत्र स्व0 श्री रघुवीर जाति बिश्नोई निवासी बजीतपुरा भोमा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। –रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 11.06.2019 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्रकरण संख्या 18/2019 बअनवानी रवि कुमार बनाम ग्रामत्थान विद्यापीठ

श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1
श्री रविन्द्र भोभिया अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2

निर्णय दिनांकः–27.10..2020

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया। जिसमें खाता विभाजन की अंतिम डिक्री पारित होने से पूर्व चक 18 जीजीआर के खाता संख्या 108/96 सम्वत 2071–74 तादादी 2.227 हैक्टेयर में से किसी विशिष्ट भू भाग को बेय व मुन्तकिल नही करने तथा प्रार्थी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 30 के कब्जा काश्त की भूमि चक 18 जीजीआर तहसील टिब्बी क पत्थर नम्बर 173/291 (58) किला नम्बर 19–22–23 व किला नम्बर 173/292 (59) के किला नम्बर 2 की कुल 1.012 हैक्टेयर में उनके कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करने से निषिद्ध करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में सभी प्रतिवादीगण को पक्षकार संयाजित नही किया गया है, जबकि प्रार्थी के अभिवचनों के अनुसार स्व0 श्री विष्णुदत्त के नाम खा0 संख्या 108/96 की कुल 9 बीघा कृषि भूमि में उनका 4 बीघा हिस्सा उनके समस्त वारिसान प्रार्थी रवि कुमार के सम्मिलित रहते हुए हिस्सेदार थे। सभी प[illegible] के दोष से ग्रसित होने के कारण प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही है। प्रत्यर्थी [illegible] उसके द्वारा अभिकथित स्व0 श्री विष्णुदत्त के दीगर उत्त[illegible] खाता संख्या 108/96 में नामान्तरण दर्ज नहीं [illegible] संख्या 1 को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार [illegible] न्यायालय ने प्रार्थी के [illegible] में रिलीफ को ग्रांट किया है जिसकी अभियाचना प्रत्यर्थी संख्या 1 ने की ही नहीं प्रार्थना–पत्र में स्पष्ट अभिवचन किये है कि चक 18 जीजीआर तहसील टिब्बी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.17 15:46:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

संयुक्त खाता संख्या 108/96 की कुल 2.227 हैक्टेयर अर्थात 9 बीघा कृषि भूमि में 5 बीघा भूमि व प्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 1 पूर्वज श्री विष्णुदत्त क नाम 4 बीघा भूमि का हक बतौर सह खातेदार दर्ज है जो उनके नाम से खातेदारी भूमि के रूप में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी ने यह अनुतोष चाहा था कि प्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 30 के कब्जा की भूमि वाके चक 18 जीजीआर तहसील टिब्बी के पत्थर नम्बर 173/391 के किला नं. 19, 22 व 23 व पत्थर नम्बर 173/292 के किला नं. 2 की कुल 1.012 हैक्टेयर में उनके कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करने से निषिद्ध रहे। अधीनस्थ न्यायलाय ने अपीलार्थी के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा अपीलाधीन आदेश के जरिये जारी की है कि अप्रार्थी संख्या 1 चक 18 जीजीआर के खाता संख्या 122 बरूये जमाबन्दी 2075–78 में वर्णित कृषि भूमि कुल 2.277 हैक्टेयर में अपने खाता की 5/9 हिस्सा ताफैसला रहन बैय व मुन्तकिल नही करे। जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के कथित तौर पर कब्जा काश्त की भूमि के संबंध में कोई आदेश पारित नही किया बल्कि अपीलार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करते हुए उसे अपने हिस्से की ही कृषि भूमि को अन्तरित करने से निषिद्ध कर दिया है। ऐसा आदेश विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल निरस्ती है। प्रत्येक सह खातेदार को अपने हिस्से की भूमि को हर प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार रहता है। इसक साथ ही यह भी विधिक व्यवस्था है कि जब तक संयुक्त खाता की सम्पति का विधिवत विभाजन नहीं हो जाये तब तक सम्पति का विशिष्ट किलों में बेचान अथवा अन्तरण नहीं किया जा सकता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का अपने हक व हिस्सा की भूमि को अन्तरित करने के सम्पतिक व संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया है। अपीलाधीन आदेश पूर्णतया गलत व प्रभावशुन्य आदेश हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2013 (2) पेज 1108, आरआरटी 2014–15 (सुप) पेज 657, आरआरटी 2011–12 (सुप) पेज 217, आरआरटी 2001 (2) पेज 1261, आरआरटी 2015 (1) पेज 633 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पिता पड़दादा विष्णुदत्त पुत्र श्री स्व0 दौलाराम उर्फ पोलाराम जाति बिश्नोई की प्रश्नगत 2.277 है. भूमि में से 4/5 हिस्सा अर्थात 4 बीघा भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। स्व0 श्री विष्णुदत्त के प्रथम श्रेणी के वारिस प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 30 है। उक्त वर्णित खाता संख्या 108/96 तादादी 9 बीघा भूमि में प्रार्थी क पड़दादा के नाम दर्ज 4 बीघा भूमि में प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 30 श्री विष्णुदत्त के विधिक वारिसान होने के कारण खतोदार काश्तकार हैं तथा उक्त भूमि में प्रार्थी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 30 का प्रार्थना–पत्र दफा 4 के अनुसार हक व हिस्सा बनता है। चक नं. 18 जीजीआर जो प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 5 में ... है की विशिष्ट किलों की भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के अनुतोष में यही चाहा है कि चक 18 जीजीआर के खाता संख्या 108/96 में वर्णित 2.277 है0 में से किसी विशिष्ट भू–भाग का बेचान ... नहीं करे तथा उक्त भूमि को बिना खाता विभजान करवाये प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ता 30 के कब्जा काश्त की भूमि को रहन बेय तथा अन्तरित करने पर आमादा है जिस पर अस्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.17 15:46:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

जारी करने का अनुतोष मांगने पर विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत है अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट ने चक 18 जीजीआर के खाता संख्या 108/96 सम्वत 2071–74 तादादी 2.227 हैक्टेयर में से किसी विशिष्ट भू भाग को बेय व मुन्तकिल नही करने तथा प्रार्थी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 30 के कब्जा काश्त की भूमि चक 18 जीजीआर तहसील टिब्बी क पत्थर नम्बर 173/291 (58) किला नम्बर 19–22–23 व किला नम्बर 173/292 (59) के किला नम्बर 2 की कुल 1.012 हैक्टेयर में उनके कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करने से निषिद्ध करने का अनुतोष मांगा। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने चक 18 जीजीआर खाता संख्या 122 जमाबंदी संवत 2075–78 में वर्णित 2.277 है0 में अप्रार्थी संख्या 1 को अपने खाता की 5/9 हिस्सा को ताफैसला वाद रहन बेय व मुन्तकिल नहीं करने का आदेश पारित किया है। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी प्रत्यर्थी संख्या 1 के कथित तौर पर कब्जा की भूमि के संबंध में कोई आदेश पारित नही किया है बल्कि अपीलार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा करते हुए उसे अपने हिस्से की कृषि भूमि को अन्तरित करने से निषिद्ध किया है, तथा रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने जितना अनुतोष मांगा उससे अधिक भूमि पर स्थगन जारी किया गया है। ऐसा आदेश विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रत्येक सह खातेदार को अपने हिस्सा की भूमि को अन्तरित करने का अधिकार रहता है। आरआरटी 2001 (2) पेज 1261 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि किसी सहखातेदार को उसके हिस्से के उपभोग के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलाण्ट एक अभिलिखित खातेदार काश्तकार है तथा रेस्पोडेण्ट सं0 1 के पक्ष में जो स्थगन जारी किया गया है वह उसके प्रार्थना–पत्र के अनुतोष से अधिक की भूमि पर जारी किया गया है। फलतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय यथावत रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.06.2019 खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.17 15:46:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner